न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 10/2015 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00149

उनवान

1. शंकर पुत्र लज्जाराम
2. लाखन } पुत्रगण शंकर } जाति बघेला निवासीगण ग्राम कुसैंडा तह0 व जिला धौलपुर।
3. विनोद }

.....अपीलांट।

बनाम

1. रतन सिंह पुत्र छिद्दा
2. ग्यासस्रो वेवा रामजीलाल
3. अवतार दत्तक पुत्र नत्थी } जाति बघेला निवासी ग्राम कुसैंडा तहसील व जिला धौलपुर।
4. द्वारिका }
5. भंवरा } पुत्रगण रामजीलाल
6. गज सिंह }
7. मोहन सिंह पुत्र अन्ता
8. पुन्ना पुत्र दौजी
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बरैठा जरिये प्रबन्धक।
10. अलवर – भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक,शाखा मनियॉ जरिये प्रबंधक।
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 27.03.2015 मि. नं. 31/12 उनवानी शंकर बनाम रतन सिंह।

अभिभाषकण :–

1. वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार भार्गव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक–12.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा एक वाद बाबत् बॅटवारा काश्त व स्थायी निषेधाज्ञा, विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद

पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादीगण/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहें हैं। विवादित आराजी का अभी तक बॅटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 विवादित आराजी को लेकर आये दिन हम वादीगण/अपीलाण्ट से झगडा करते हैं। इसलिए अब शामिल काश्त करना असम्भव हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड, विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 17.10.2006 से प्राथमिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार धौलपुर से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये गये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के मुताबिक दिनांक 02.04.2007 को अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 03.01.2012 से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.2007 को निरस्त कर करते हुए, पुनः नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार धौलपुर से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये एवं मुताबिक कुर्रे प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2015 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में, अपील मीमो के कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश, बोलता हुआ आदेश नहीं है। अपीलाधीन आदेश में कुरा विभाजन बाबत् अपीलाण्ट की आपत्ति की कोई विवचना नहीं की है। विभाजन प्रस्ताव ना तो तहसीलदार ने मौके पर जाकर तैयार किये तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई सूचना ही प्रेषित की गयी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2012 में दिये गये निर्देशों की कोई पालना नहीं की गयी है एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव बनाते समय नियम 18 से 21 की ही कोई पालना की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विभाजन प्रस्ताव विधि अनुसार सही हैं। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति में बनाये गये हैं, अपीलाण्ट ने विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अतः कुर्रे प्रस्ताव विधिवत हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट का विभाजन प्रस्ताव बाबत् मैरिट पर क्या आपत्ति है, स्पष्ट नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुॅजाईश शेष नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.04.2012 के अनुसार न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 03.01.2012 की पृष्ठभूमि में, अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि के विभाजन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्ताव तहसीलदार धौलपुर से तलब किये गये हैं। तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 13.06.2012 अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित करने के उपरांत उक्त कुरा रिपोर्ट पर अपीलांट शंकर वगैराह की ओर से एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 19.05.2014 से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र एतराज कुर्रेजात स्वीकार किया गया तथा विवादग्रस्त आराजी के पुनः विधि अनुरूप कुर्रे तलब करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.06.2014 को पुनः कुरा रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय तहत को पत्रांक 195 दिनांक 13.06.2014 से भिजवाई गई। उक्त कुरा रिपोर्ट पर भी वादीगण अपीलांट की ओर से एतराज प्रस्तुत किए गए। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त एतराज प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की सुनवाई कर दिनांक 20.03.2015 से एतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। हमने विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.06.2014 का अवलोकन किया। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार धौलपुर, नायब तहसीलदार, पक्षकारान् एवं मौके पर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त कुर्रे प्रस्तावो एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.03.2015 में स्पष्ट अंकित है कि विभाजन प्रस्ताव तैयारी हेतु वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बुलाया गया। उभयपक्षकारान के समक्ष कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये गये एवं अन्त में नोट डालकर यह भी अंकित किया है कि वादी/अपीलाण्ट ने प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया एवं उक्त के अलावा अन्य भिन्न तरीके से कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करने की पूछने पर कोई भी कुर्रेजात नहीं बताये। उपरोक्त विवेचनानुसार हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने अपीलाधीन कुर्रे प्रस्तावो में त्रुटि के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विवरण नहीं बताया है। अपीलाण्ट स्वयं ने विभाजन प्रस्तावो पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया एवं उक्त के अलावा कोई भिन्न कुर्रे भी नहीं बताये हैं। अतः कुर्रे तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन के नियमों अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बॅटवारा करते हुए बनाये हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2015 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर